



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

Land Ceiling Appeal No. 04/2025

सदानन्द प्रसाद सिन्हा-बनाम-यशवंत प्रसाद एवं अन्य

आदेश की क्रम
सं० एवं तारीख

आदेश पर
गई कार्रवाई
बारे में ति
थि सहित

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

8/1/25

अपिलार्थी:-1.सदानन्द प्रसाद सिन्हा, पिता-स्व० सूर्यनारायण प्रसाद,
सा०-कोल्हुआ, पो०-परसावेड़ा
था०-डुमरी, जिला-गिरिडीह।

उत्तरवादी:-1.यशवंत प्रसाद, पिता-स्व० रीतलाल प्रसाद,
सा०-अमर नगर, घाटो, था०-माण्डु, जिला-रामगढ़।
2.शहबानो परवीन, पति-मो० सददाम हुसैन,
सा०-कोल्हुआ, पो०-परसावेड़ा, था०-डुमरी, जिला-गिरिडीह।
3. राज्य

—:आदेश:—

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत भू-हदबंदी अपील वाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, डुमरी द्वारा भू-हदबंदी वाद सं० 01/2023-24 सदानन्द प्रसाद सिन्हा बनाम यशवंत प्रसाद एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.01.2025 के विरुद्ध U/s 30 of Bihar Land Reform Act. 1961 के तहत दायर किया गया है। वाद को सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न तिथियों में सुनवाई की गई।

वादगत भूमि की विवरणी:-

अंचल	मौजा/थाना न०	खाता नं०	प्लॉट न०	रकवा	भूमि का किस्म
डुमरी	कोल्हुआ/61	09	391	13.5 डी०	टाड़ 3

अपीलार्थी के विज्ञा अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित आवेदन एवं वक्तव्यों के माध्यम से मुख्यतः यह पक्ष रखा गया की- निम्न न्यायालय द्वारा सही तथ्य को दरकिनार कर आदेश पारित किया गया जो कानून के नजर में सही नहीं है तथा Set-aside करने योग्य है। विपक्षी यशवंत प्रसाद द्वारा गलत चौहद्दी दर्शाते हुए वादगत भूमि की बिक्री की गई है जिसकी पुष्टि

अंचल अमीन से नापी कराकर किया जा सकता है साथ ही वादगत भूमि पंजी 2 में भूमि का किरम टाड़ के रूप में दर्द है, जो की एक कृषि योग भूमि होती है, इन सभी तथ्यों को निम्न न्यायालय द्वारा दरकिनार कर निर्णय लिया गया जो न्यायिक तौर पर उचित नहीं है।

अपने पक्ष के समर्थन में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा **List of document** के साथ 6 दस्तावेज एवं फोटो की छायाप्रति दायर किया गया जो अभिलेखबद्ध है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा **Show cause** एवं वक्तव्यों के माध्यम से अपने पक्ष में यह तर्क दिया गया की निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमसम्मत एवं उचित है। वादगत भूमि आवासीय योग्य है और अपीलार्थी वादगत भूमि के **Co-Shares/adjacent Raiyat** नहीं हैं, **Sale Deed** से यह तथ्य स्पष्ट होता है एवं **Sale Deed** इस तथ्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसलिए अपीलार्थी के अपील खारीज किया जाने योग्य है, परन्तु अपने पक्ष के समर्थन में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में कोई अन्य कागजात दायर नहीं किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, डुमरी द्वारा भू-हदबंदी वाद सं० 01/2023-24 सदानन्द प्रसाद सिन्हा बनाम .यशवंत प्रसाद एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.01.2025 का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“उभय पक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के साथ-साथ आवेदित भूमि का निष्पादित निबंध दस्तावेज में चौहद्दी का अध्ययन करने तथा वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा एक ही विक्रेता से क्रय की गई भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अपने खरीद की भूमि को प्रतिवादी संख्या 02 को बिक्री कर देने के कारण अद्योहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह मामला वादी के **Pre-emption Rights** के संबंध दावों को पुष्टि नहीं करता है साथ ही बिक्री की गई भूमि के चौहद्दी में कहीं भी वादी/वादी के भूमि का जिक्र ना होना इस बात को स्पष्ट करता है की वादी उक्त भूमि के को शेयर एडजेसेंट रैयत नहीं है इस प्रकार वादी के द्वारा बिक्री की गई भूमि का **Co-Shares/adjacent Raiyat** होने का दवा को खारिज किया जाता है। आवेदित भूमि की प्रकृति टाड़ है, जिसकी पुष्टि संलग्न निबंधित दस्तावेज एवं खतियान का अवलोकन से प्रतीत होता है साथ ही बिक्री की गई रकबा 13.5 डिसमिल है अर्थात यह **Homestead Land** नहीं है।”

—: विवेचना :-

1. भू-हदबंदी वाद में भूमि का प्रकार एवं भूमि का चौहद्दी जो कि पक्षकार के भूमि का सह-हिस्सेदार अथवा सीमावर्ती रैयत होने का प्रमाण के लिए मूल तथ्य होता है, ऐसे में इन तथ्यों के लिए केवल **Sale Deed** को एक पुष्ट दस्तावेज मानना उचित नहीं

होगा।

2. निम्न न्यायालय अभिलेख एवं आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है की केवल **Sale Deed** में अंकित तथ्यों के आधार पर ही निर्णय किया गया है अपितु ऐसे मामलो में स्थल निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन का तथ्य काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसका कोई उल्लेख नहीं पाया गया।
3. स्थल निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित दस्तावेज के अलोक मे ऐसे मामलो में निर्णय लेना श्रेयस्कर होगा, सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी इस तर्क को स्वीकार किया गया।

उपरोक्त विवेचना, सम्पूर्ण अभिलेख, निम्न न्यायालय अभिलेख, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क/दायर दस्तावेज/आवेदन के अवलोकन एवं परिशीलन के उपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, डुमरी द्वारा भू-हदबंदी वाद सं० 01/2023-24 सदानन्द प्रसाद सिन्हा बनाम यशवंत प्रसाद एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.01.2025 को अपास्त करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्ता, डुमरी को निदेश दिया जाता है कि वादगत भूमि का संबंधित अंचल अमीन, अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के साथ उभय पक्ष की उपस्थिती में भूमि का प्रकार, भूमि का चौहद्दी एवं भूमि का सह-हिरसेदार /सीमावर्ती रैयत संबंधित स्थल निरीक्षण/जाँच कराते हुए पुनः सभी दस्तावेज के साथ उभय पक्ष को सुनने तथा **Bihar Land Reform Act. 1961** में निहित प्रावधानों के तहत तार्किक आदेश करने हेतु इस वाद को भूमि सुधार उपसमाहर्ता, डुमरी को **Remand** किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल निम्न न्यायालय अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, डुमरी को भेजे। पारित आदेश से सभी संबंधितों को अवगत करावे।

विधि-व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।